

वर्ष 2020-21 हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम की संशोधित समय-सारिणी का निर्धारण

क्र०सं०	कार्यवाही का स्तर	प्रक्रियात्मक कार्यवाही	कार्यवाही हेतु वर्तमान में निर्धारित समयावधि	संशोधित समय सारणी
1.	स्तर-1	नीलिट से "ओ" लेवल कम्प्यूटर प्रशिक्षण एवं "सीसीसी" कम्प्यूटर प्रशिक्षण हेतु मान्यता प्राप्त संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विभागीय वेबसाइट backwardwelfareup.gov.in एवं obccomputer training.upsdc.gov.in पर दिये गये लिंक पर ऑनलाइन आवेदन किया जाना एवं मान्यता से सम्बन्धित अभिलेखों व आधारभूत ढाँचे का विवरण अपलोड करने के साथ हार्ड कॉपी निदेशालय, पिछड़ा वर्ग कल्याण, इन्दिरा भवन, लखनऊ/संबंधित जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध कराया जाना।	20 जून से 26 जून तक।	प्रक्रिया पूर्ण
2.	स्तर-2	संस्था द्वारा भरे गये ऑन लाइन आवेदन में अंकित सूचनाओं का जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी द्वारा अभिलेखीय/भौतिक सत्यापन किया जाना तथा सत्यापन रिपोर्ट ऑनलाइन अपलोड करते हुये आवेदन को अपने अभिमत सहित डिजिटल हस्ताक्षर से सत्यापित किया जाना।	27 जून से 06 जुलाई तक।	प्रक्रिया पूर्ण
3	स्तर-3	निदेशालय स्तर पर गठित राज्य स्तरीय समिति द्वारा जनपद स्तर पर प्रशिक्षण देने हेतु संस्थाओं का चयन करना।	07 जुलाई से 29 जुलाई तक।	प्रक्रिया पूर्ण
4.	स्तर-4	प्रशिक्षणार्थियों द्वारा "ओ" लेवल कम्प्यूटर प्रशिक्षण एवं "सी.सी.सी." कम्प्यूटर प्रशिक्षण हेतु ऑनलाइन आवेदन एवं शैक्षिक व अन्य	30 जुलाई से 15 अगस्त	07 अगस्त से 23 अगस्त


(सुबोध कुमार मोदी)
वरिष्ठ सहायक
पिछड़ा वर्ग कल्याण
मुख्यालय।


(सत्येंद्र प्रताप सिंह)
जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी
(सो.जना.प्रशा.सि.)


(विकास शर्मा)
संयुक्त निदेशक,
पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशालय,
स०प्र०, लखनऊ


निदेशक
कल्याण विभाग

		अभिलेखों को अपलोड किया जाना तथा आवेदन की प्रति डाउनलोड कर समस्त अभिलेखों सहित निर्धारित तिथि तक जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कार्यालय में हार्ड कापी जमा किया जाना।		
5.	स्तर-5	जिला स्तरीय चयन समिति के निर्देशन में जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी द्वारा ऑनलाइन प्राप्त आवेदन पत्रों एवं अभिलेखों का प्रिंट प्राप्त करना, आय, जाति प्रमाण पत्र व अन्य शैक्षिक अभिलेखों का ऑनलाइन सत्यापन करना एवं उनकी जाँच करना। प्रशिक्षण हेतु पात्र प्रशिक्षणार्थियों को जिला स्तरीय चयन समिति से अनुमोदन के उपरान्त सत्यापित कर लॉक करना तथा अपात्र/त्रुटिपूर्ण आवेदनों को निरस्त किया जाना। निदेशालय द्वारा संस्थावार/पाठ्यक्रमवार आवंटित लक्ष्य के सापेक्ष अनुमोदनोपरान्त चयनित लाभार्थियों को सत्यापित कर डिजिटली लॉक किया जाना तथा शेष प्रशिक्षणार्थियों की प्रतीक्षा सूची तैयार करना।	24 अगस्त से 30 अगस्त तक।	यथावत्।
6.	स्तर-6	चयनित अभ्यर्थियों का सम्बन्धित संस्था द्वारा संस्था में प्रवेश लेते हुये प्रशिक्षणार्थियों का निलिट में रजिस्ट्रेशन कराना तथा प्रवेश न लेने वाले प्रशिक्षणार्थियों के सापेक्ष प्रतीक्षा सूची से पोर्टल पर एलाटमेन्ट करते हुए प्रवेश दिलाना तथा सूचना ऑनलाइन लॉगिन पर अपडेट किया जाना।	26 अगस्त से 31 अगस्त तक।	31 अगस्त से 07 सितम्बर तक।
7.	स्तर-7	प्रदेश स्तर जनपदवार चयनित प्रशिक्षणार्थियों का संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षण एक साथ प्रारम्भ कराया जाना।	01 सितम्बर से	उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कोविड-19 के संबंध में जारी दिशा-निर्देश के अनुसार अनुपालन की कार्यवाही की जायेगी।


 5/10/2020
 (सुबोध कुमार)
 वरिष्ठ सहायक
 पिछड़ा वर्ग कल्याण
 मुख्यालय।


 (सत्येन्द्र प्रताप सिंह)
 जि० पि० व० क० अधि०
 (योजना प्रभारी)


 (विकास शर्मा)
 संयुक्त निदेशक,
 पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशालय,
 ल०प्र० लखनऊ।


 निदेशक
 पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
 ल०प्र०, लखनऊ